

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, 30 प्र० ।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ:: दिनांक:: 13 मई, 2022

विषय: समूह 'ग' के कार्मिकों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरांत पटल/ क्षेत्र परिवर्तन किया जाना ।

महोदय,

सरकारी कार्यालयों में कार्य की शुचिता बनाये रखने के दृष्टिगत पूर्व में शासन स्तर से समय-समय पर इस आशय के आदेश निर्गत किये गये हैं कि समूह 'ग' के कार्मिकों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरांत पटल/ क्षेत्र परिवर्तन कर दिया जाय। शासन के संज्ञान में यह आया है कि अभी भी उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है ।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समूह 'ग' के कार्मिकों का पटल परिवर्तन एवं क्षेत्र (फील्ड) में तैनात / कार्यरत कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त प्रतिवर्ष 30 जून तक अनिवार्य रूप से कर दिया जाय। कृपया कार्मिकों के पटल/ क्षेत्र परिवर्तन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

(1) सभी विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष यह देखेंगे कि पटल/ क्षेत्र परिवर्तन की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन हो। संवेदनशील/ लोक व्यवहार के पदों के संबंध में भी व्यक्तिगत रूप से समीक्षा कर संबंधित कार्मिक का पटल/ क्षेत्र परिवर्तन शीर्ष प्राथमिकता पर किया जाय ।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पटल/क्षेत्र परिवर्तन करने के पश्चात अनौपचारिक रूप से संबंधित पटल/ क्षेत्र पर पूर्व में तैनात कार्मिक का प्रभाव न बना रहे या वह अनौपचारिक रूप से या औपचारिक रूप से संबद्ध होकर वहीं कार्य संपादन पूर्व की भांति न करता रहे ।

(3) कार्मिकों के पटल/ क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्षों द्वारा यह प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष को 30 जून तक प्रेषित कर दिया जायेगा कि उनके अधीन 03 वर्ष से अधिक अवधि का कोई कार्मिक एक ही पटल/ क्षेत्र में तैनात नहीं है।

(4) इसी प्रकार विभागाध्यक्ष भी शासन को यह प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष 30 जून तक देंगे कि उनके अधीन मुख्यालय में 03 वर्ष से अधिक कार्मिकों का पटल/ क्षेत्र परिवर्तन कर दिया गया है ।

(5) यदि किसी कार्मिक का शासकीय कार्यहित में पटल/ क्षेत्र परिवर्तन न किये जाने की अपरिहार्य परिस्थिति हो, तो इस संबंध में उन अपरिहार्य परिस्थितियों का उल्लेख करते हुये एक

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in/> से सत्यापित की जा सकती है।

निश्चित अवधि हेतु संबंधित कार्मिक का पटल/ क्षेत्र परिवर्तन न किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित स्तर से एक स्तर ऊपर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या- 8/2022/सा0-119/सैंतालीस-4-2022-(1/3/96) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, 30 प्र0 ।
- (2) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, 30 प्र0 ।
- (3) निजी सचिव, मा मंत्रिगण, 30 प्र0 ।
- (4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
- (5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, 30 प्र0 ।
- (6) निदेशक, सूचना विभाग, 30 प्र0, लखनऊ ।
- (7) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, 30 प्र0 ।
- (8) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, 30 प्र0 ।
- (9) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in/> से सत्यापित की जा सकती है।